न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/192
दायरा तिथि : 27.05.2022
फैसला तिथि : 30-5-22
प्रार्थीनीः–
श्रीमति राधा पत्नि मोडाराम देवासी
जति देवासी निवासी पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 30-5-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी राधादेवी पत्नि मोडाराम रेबारी निवासी पुनाडिया ने केम्प कोटबालियान में दिनांक 17.10.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर में वर्ष 2008 में उसे भूमि नियमन हुई। नियमन शुदा भूमि पर सौपे गये कब्जे के अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज है, परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान् तरमीम में हमारे कब्जे के स्थान पर न होकर उसके साईड दिशा में की गई है जो गलत है। अतः मौके पर काबिज अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के सबंध में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/573 दिनांक 26.05.2022 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया राधाबाई पत्नि मोडाराम देवासी को पुनाडिया के खसरा नंबर 549 मेंसे 0.73 हैक्टर रकबा वर्ष 2008 में नियमन हुआ, जिसकी तररमीम नामान्तरकरण की पुरत पर वर्णित नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम सेग्रीगेशन के दौरान् की गई। उक्त तरमीम मौका स्थिति के विपरित है। वर्तमान में मौके पर खसरा नंबर 549 रकबा 0.73 हैक्टर राधाबाई पत्नि मोडाराम रेबारी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 549/2 के पूर्व दिशा में कब्जा काश्त है, जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त तरमीम खसरा नंबर 549/2 के दक्षिण दिशा में है, जहां मौके पर जोगियो (कालबेलिया) समाज की शमशान बनी हुई है। जिससे मौका स्थिति के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं। इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार– उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया को वर्ष 2008 में नियमन शुदा भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 549 मेंसे रकबा 0.73 हैक्टर का नामान्तरकरण की पुरत पर गलत नक्शा बनाने से तहसील ऑन लाईन के दौरान् तरमीम गलत होने से माफिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का, कोट बालियान, एवं तहसीलदार, बाली नक्शे में प्रार्थीया के भौतिक कब्जे की स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 549/2 के पुर्व दिशा की ओर किये तरमीम जाने एवं जहां प्रार्थीया के खसरा नंबर 549 की तरमीम है, उस जगह पर मौका स्थिति के अनुसार शमशान/ राजकीय सिवायचक भूमि की तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का, कोट बालियान द्वारा दिनांक 12.11.2021 को तैयार मौका फर्द को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 30-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner